संख्याः 1610 /VII-1/33–रिट/2010

प्रेषक,

श्री पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांकः 25 जून, 2010

विषयः नदी तल से उपखनिज चुगान/खनन पर उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम–72 को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 1498(एम/एस)/2009 माया दीक्षित बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 27.03.2010, रिट याचिका संख्या 589/(एम/एस)/2010 ताज रायल्टी बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 591/(एम/एस)/2010 संजय कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 898/(एम/एस)/2010 स्वराज कनवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य आदि के संदर्भ में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा नदी तल से उपखनिज चुगान/खनन पर उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम–72 को राज्य खनिज नीति, 2001 के साथ लागू किये जाने हेतु निम्नानुसार दृष्टिकोण लिया गया है :–

1. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2010 के पृष्ठ संख्या 6 पैरा 3 में निम्नानुसार उल्लेख है :–

.....
.....

Since, the lease period had already been elapsed and the respondents have already carried out the mining activities. No useful purpose has been served to pass any order against the respondents at this stage.

.....
.....

आदेश के पृष्ठ संख्या 7 के पैरा 2 में निम्नानुसार उल्लेख है :–

.....
.....

It was further contended by the learned counsel for the petitioner that the Division Bench of this Court in Special Appeal No. 218 of 2009 wherein the review application was filed by the Garhwal Mandal Vikas Nigam, (Review Application No. 1056 of 2009). After hearing the

review application in SPA No. 218 of 2009 dated 3-12-2009 was clarified and it has been held in para 5 "that the State Government shall in the first instance, endeavour to grant lease for mining mineral in terms of the policy, instructions dated 30-4-2001 as amended on 10-10-2002 and in case a viable lease does not emerge from its efforts, only then the public notice contemplated in the order passed by this Court on 3-12-2009".

I have perused the judgemtn of the Apex Court and in view of the Apex Court, the Rule 72(1) is also applicable in case of the chapter-II and 30 days notice is mandatory and in view of the judgment rendered in the Special Appeal, if the State Government does not choose the give the lease to the Corporation as per the policy and prefer to give to private individuals then the public notice contemplated under Rule 72(1) of the act is to be given. The provisions be also complied with in case of short term permit/renewal of lease/fresh grant of lease.

2. मा0 उच्च द्वारा विशेष अपील संख्या 218/2009 श्री त्रिलोक सिंह चौहान बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में दिनांक 03.12.2009 को पारित आदेश निम्नवत् हैं :–

.....
.....

We accordingly, direct the State Government of publish on advertisement inviting applications for mining lease for the miner minerals under reference at the earliest. It would be open to the State Government to determine the eligibility of the applicants. Observation made by the learned Single judge in the impinged order datec 19-11-2009 shall not stand in the way of the State Government, while determining the eligibility of the applicants. The State Government shal then accept the application of the deserving candidates in terms of the its policy.

.....
.....

3. मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा विशेष अपील संख्या 218 ऑफ 2009 त्रिलोव सिंह चौहान बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में दिनांक 26.02.2010 को निम्न आदेश पारित किये गये :–

.....
.....

5.....the order passed by this court dated 3-12-2009 in Specia Appeal No. 218 of 2009 is clarified to the effect, that the Stat Government shall, in the first instance Endeavour to grant lease fc mining minor minerals in terms of the policy instruction dated 30-4-200 as amended on 17-10-2002 and in case a viable lease does not emerg from its efforts, only then the public notice contemplated in the orde passed by this court on 3-12-2009 disposing of Special Appeal No. 21 of 2009 , shall be issued.

अतः उक्त रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के समादर में उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम–72 के अनुसार खनिज परिहार स्वीकृत करने से पूर्व उपखनिज उपलब्ध क्षेत्र का विज्ञप्तिकरण किया जाना अपरिहार्य है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में स्वीकृत किये जाने वाले खनन पट्टों/अनुज्ञा पत्रों पर उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम–72 के अनुसार विज्ञप्तिकरण करने के उपरान्त ही राज्य खनिज नीति, 2001 के अनुसार आवेदन प्राप्त करते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1610 (1)/VII-1/33–रिट/2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महाधिवक्ता/मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल।
4. ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
5. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।